संख्या-613/18-4-2023-18-(विविध)/17 टी0 सी0-3

प्रेषक,

प्रांजल यादव
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ)
उ0प्र0, लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 2023

विषय- 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1095/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0 सी0-।।।, दिनांक 06-11-2018 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों यथा-कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग आदि से सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश संख्या-1095/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0 सी0-।।।, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्नुक्रम में प्रश्नगत योजना का सरलीकरण कर इसे और अधिक लाभार्थीपरक बनाने के उद्देश्य से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06-11-2018 में आंशिक संशोधन किए जाने हेतु आपके पत्र संख्या-135/ओ0डी0ओ0पी0 सी0एफ0सी0 योजना संशोधन/84/2022-23, दिनांक 09-06-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्द्वारा श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-1095/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0 सी0-।।।, दिनांक 06-11-2018 को निम्नवत संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

योजना का प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर-1	योजनान्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित किये गये उत्पादों से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रिया-कलापों हेतु उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी:- 1.टेस्टिंग लैब	सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) से आशय, इस प्रकार के केन्द्र से है, जहाँ **स्टेक होल्डर्स** (हस्तशिल्पी/कृषक/उद्यमी/निर्यातक इकाईयाँ इत्यादि) द्वारा जा कर यूजर चार्जेस के आधार पर जॉब वर्क/प्रोसेसिंग एवं प्रोडक्शन की प्रक्रिया के किसी चरण को कराया जा सकता हो। सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुमन्य है :- 1. टेस्टिंग लैब

	2.डिजाईन डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर 3.तकनीक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 4.उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र 5.रॉ-मैटिरियल बैंक/कामन रिसोर्स सेन्टर 6.कामन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेन्टर 7.कामन लाजिस्टिक्स सेन्टर 8.सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसारण केन्द्र 9. पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं 10. सम्बन्धित जनपद हेतु चयनित उत्पाद के विकास हेतु नोडल संस्था (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश) द्वारा करायी गयी डायग्नोस्टिक स्टडी में प्रस्तुत की गयी अन्य अवस्थापना सुविधायें, जो कि Missing Link of value chain से सम्बन्धित हों।	2. डिजाईन डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर 3. तकनीक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 4. उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र 5. रॉ-मैटिरियल बैंक/कामन रिसोर्स सेन्टर 6. कामन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेन्टर (For balancing/correcting/improving production line that can't be undertaken by individual units.) 7. कामन लाजिस्टिक्स सेन्टर 8. सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसारण केन्द्र 9. पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं 10. सम्बन्धित जनपद हेतु चयनित उत्पाद के विकास हेतु नोडल संस्था (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश) द्वारा करायी गयी डायग्नोस्टिक स्टडी में प्रस्तुत की गयी अन्य अवस्थापना सुविधायें, जो कि Missing Link of value chain से सम्बन्धित हों।
प्रस्तर-2	योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव, इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से गठित एस0पी0वी0 (Special purpose vehicle) द्वारा किया जाएगा। एस0पी0वी0 स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाए, प्रोडयूसर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी अथवा लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनर आदि के स्वरूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त एस0पी0वी0 को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण की जानी अनिवार्य होंगी:- 2.1. संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए; 2.2. कुल सदस्यों में न्यूनतम दो तिहाई सदस्य ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद से सम्बन्धित होने चाहिए। 2.3. संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत होनी चाहिए। 2.4 संस्था के संविधान में सम्बन्धित	**प्रस्तर-2(क):** योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव, इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से गठित एस0पी0वी0 (Special purpose vehicle) द्वारा किया जाएगा। एस0पी0वी0 प्रोडयूसर कंपनी, **सोसायटी एवं सेक्शन-8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)** के स्वरूप में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एस0पी0वी0 को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण की जानी अनिवार्य होंगी:- 2.1. संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए। 2.2. कुल सदस्यों में न्यूनतम दो तिहाई सदस्य ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद से सम्बन्धित होने चाहिए। 2.3. संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत होनी चाहिए। 2.4 संस्था के संविधान में सम्बन्धित उत्पाद से जुडे हुये हित धारकों तथा राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल करने के सुस्पष्ट प्राविधान होने चाहिए। 2.5 संस्था के किसी भी सदस्य के पास संस्था के कुल शेयरों में से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिए। 2.6 योजनान्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन, प्रवन्धन एवं रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित एस0पी0वी0 का होगा तथा इनके संचालन, प्रबन्धन एवं

	उत्पाद से जुड़े हुये हित धारकों तथा राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल करने के सुस्पष्ट प्राविधान होने चाहिए। 2.5 संस्था के किसी भी सदस्य के पास संस्था के कुल शेयरों में से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिए। 2.6 योजनान्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन, प्रबन्धन एवं रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित एस0पी0वी0 का होगा तथा इनके संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव पर आने वाले किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय इस योजनान्तर्गत वहन नहीं किये जायेंगे ।	रख-रखाव पर आने वाले किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय इस योजनान्तर्गत वहन नहीं किये जायेंगे । 2.7 एक परिवार से एक ही व्यक्ति एस0पी0वी0 में सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकता है। **प्रस्तर-2(ख):** **केन्द्र सरकार की कोई तकनीकी संस्था , राज्य सरकार की कोई तकनीकी संस्था अथवा भारत सरकार के सम्बंधित मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था/संस्थान यदि प्रदेश के किसी जनपद में सी0एफ0सी0 स्थापित करना चाहता है तो ओ0डी0ओ0पी0 सी0एफ0सी0 योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है। ऐसी सस्थाओं/संस्थानों को प्रस्तर 2(क) में अंकित एस0पी0वी0 गठन की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के प्रस्तावों को Case to Case basis पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा राज्यांश परियोजना लागत का 50% अथवा रू0 7.5 करोड़, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा। अवशेष संस्था को स्वयं वहन करना होगा।**
प्रस्तर-3	एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 15.00 करोड़ तक की परियोजनाएं ली जा सकेंगी, जिसमें न्यूनतम 10 प्रतिशत एस0पी0वी0 द्वारा वहन की जायेगी तथा शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा सकेगी। सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार का अंशदान परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।	एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु रू0 10.00 करोड़ तक की परियोजनाएं ली जा सकेगी, जिनमें एस0पी0वी0 एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि निम्नवत् होगी:-

क्र0 सं0	परियोजना लागत	एस0पी0वी0 का न्यूनतम अंशदान
1.	रू0 04.00 करोड़ तक	10%
2.	रू0 04.00 करोड़ से अधिक एवं रू0 08.00 करोड़ तक	20%
3.	रू0 08.00 करोड़ से अधिक एवं रू0 10.00 करोड़ तक	30%

प्रस्तर-4	योजनान्तर्गत धनराशि रू. 15.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं भी ली जा सकेंगी, परन्तु ऐसी परियोजनाओं में राज्यांश के रूप में वहन की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू. 12.75 करोड़ अथवा परियोजना लागत में से भूमि की लागत को कम करने के उपरान्त अवराशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी।	योजनान्तर्गत धनराशि रू0 10.00 करोड़ से अधिक की उन परियोजनाओं को सम्मिलित किया जा सकेगा जिनका उद्देश्य/प्रकृति पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि जैसे- CETP, ZED, R&D. Waste management, Disposal & Sustainable handling of bio-Degradable waste industrial Areas/Estate etc. से सम्बन्धित हो। उक्त परियोजनाओं में एस0पी0वी0 का अंशदान न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा तथा राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 60 प्रतिशत अथवा धनराशि रू0 09.00 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगा।
प्रस्तर-8	परियोजना हेतु समुचित, विनिर्दिष्ट	**परियोजना हेतु समुचित, विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयुक्त तथा**

	प्रयोजन हेतु उपयुक्त तथा भार एवं विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित एस0पी0वी0 का होगा। परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि या तो एस0पी0वी0 के स्वामित्वाधीन होगी अथवा न्यूनतम 15 वर्षो हेतु लीज पर भी ली जा सकेगी।	**भार एवं विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित एस0पी0वी0 का होगा। परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि एस0पी0वी0 के स्वामित्वाधीन होगी।** परियोजना हेतु भूमि लीज पर भी ली जा सकेगी, किन्तु उक्त भूमि का संस्थागत शासकीय औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क इत्यादि होना अनिवार्य है तथा लीज की न्यूनतम अवधि 25 वर्ष होगी। प्रस्तावित की गयी भूमि किसी एस0पी0वी0 सदस्य की नहीं होगी। परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि सम्बन्धित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के क्लस्टर के समीपवर्ती होगी। **प्रस्तर-2(ख) में उल्लिखित संस्थाओं को भी परियोजना हेतु भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।**
प्रस्तर-9	यद्यपि भूमि की लागत/लीज रेन्ट को परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा, परन्तु परियोजना हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि की लागत अथवा एस0पी0वी0 अंशदान के रूप में निर्धारित धनराशि में से जो भी अधिक हो, को कम करने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का वित्त पोषण राज्यांश के रूप में किया जायेगा।	भूमि की लागत/लीज रेन्ट को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
प्रस्तर-10	परियोजना हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि अथवा भवन के मूल्य की गणना राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं, विभागों, वित्तीय संस्थानों अथवा सार्वजनिक बैंकों द्वारा की जायेगी।	**विलोपित**
प्रस्तर-11	लीज पर ली गयी भूमि की दशा में अधिकतम 15 वर्षों के लीज रेन्ट को परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा। लीज रेन्ट हेतु अनुमन्य धनराशि की गणना हेतु उपर्युक्त प्रस्तर-10 में वर्णित संस्थाएं अधिकृत होंगी।	**विलोपित**
प्रस्तर-12	परियोजना लागत में भूमि की लागत किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक आंकलित नहीं की जायेगी। रू0 15.00 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में भूमि की अनुमन्य लागत की गणना कुल परियोजना	**विलोपित**

	लागत रू0 15.00 करोड़ को आधार मानते हुये ही की जायेगी। भूमि की लागत में उक्त सीमा से अधिक का व्यय भार एस0पी0वी0 द्वारा वहन किया जायेगा।	

2- प्रश्नगत शासनादेश संख्या-1095/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0 सी0-।।।, दिनांक 06-11-2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष समस्त शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by प्रांजल यादव
(प्रांजल यादव)
Date: 30-09-2023 15:01:20
सचिव।
Reason: Approved

संख्या-613 (1)/18-4-2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5-समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।
6-संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0, लखनऊ ।
7-निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
8-समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उदयोग, उ0प्र0।
9-समस्त उपायुक्त उदयोग, जिला उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर),
संयुक्त सचिव।